भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2004

संख्या का० आ० 9/ह० अ० 6/2003/धा० 59/2004.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 59 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 13/ह० अ० 6/2003/धा० 59/2004, दिनांक 9 जनवरी, 2004, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क तथा अनुसूची घ में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में,—

1. अनुसूची क में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"3	विमान टरबाईन ईन्धन तथा पैट्रोल प्रविष्टि 7 के अधीन रहते हुए	20%

व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'पैट्रोल' का अर्थ है कोई भी ज्वलनशील हाईड्रोकार्बन तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) जो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित होने पर स्पार्क इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

4	डीजल प्रविष्टि 7 के अधीन रहते हुए	12%

व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'डीजल' का अर्थ है कोई भी ज्वलनशील हाईड्रोकार्बन तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) जो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित होने पर स्पार्क इगनिशन इंजनों से भिन्न अन्य इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।";

2. अनुसूची घ में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"2	पैट्रोल	20%

व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'पैट्रोल' का अर्थ है कोई भी ज्वलनशील हाईड्रोकार्बन तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) जो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित होने पर स्पार्क इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

3	डीजल	12%

व्याख्या.— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'डीजल' का अर्थ है कोई भी ज्वलनशील हाईड्रोकार्बन तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) जो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित होने पर स्पार्क इगनिशन इंजनों से भिन्न अन्य इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।"।

चन्द्र सिंह,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।